

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(32)राज/वाद/19पार्ट-3

जयपुर, दिनांक 05-02-2021

:: आदेश ::

डॉ० गिरधारी लाल शर्मा, अपर लोक अभियोजक (म०उ०प्र०), उदयपुर की दिनांक 10.11.2020 तक सेवा अवधि में वृद्धि करते हुये इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.11.20 के क्रम में डॉ० गिरधारी लाल शर्मा, अपर लोक अभियोजक (म०उ०प्र०), उदयपुर का त्याग पत्र दिनांक 11.11.2020 से एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

आज्ञा से

ह०

(मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (जीएसवाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर।
- 8 अपर सेशन न्यायाधीश (म०उ०प्र०) उदयपुर।
- 9 जिला कलक्टर, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम 03 अधिकतम सम्भवतः 05 योग्य अभिभाषकों का पैनल जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर की अनुशंसा/ परामर्श सहित अविलम्ब इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। साथ ही उक्त पद पर नवीन नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले अपर सेशन न्यायालय, (म०उ०प्र०) उदयपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु वर्तमान में कार्यरत अन्य लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को निर्देशित करते हुये संबंधित न्यायालय एवं इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।
- 10 कोषाधिकारी, उदयपुर।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।



(मधुसूदन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

